

डिग्री बमुकदमें ईलादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-321/2018

1. विनोद कुमार } पि० जुगलाल जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी
2. धर्मवीर } जिला हनुमानगढ़।
-वादीगण

बनाम्

1. जुगलाल पुत्र हरलाल } कौम जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला
2. निहाली पत्नी जुगलाल } हनुमानगढ़।
-प्रतिवादीगण

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील वादीगण विरुद्ध जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण भिन जागिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 के नाम चक सं० 24 केएनएन के खाता सं० 18 में अंकित कुल भूमि 1.265 है० में 1/6 हिस्सा, चक सं० 2 ए बरानी के खाता सं० 20 में अंकित कुल भूमि 2.024 है० में 1/6 हिस्सा, चक सं० 18 केएनएन के खाता सं० 29 में अंकित कुल भूमि 2.277 है० में 1/6 हिस्सा तथा 19 केएनएन के खाता सं० 38 में अंकित कुल भूमि 17.492 हिस्सा में 1/6 हिस्सा तथा चक नं० 19 केएनएन के खाता सं० 61 में अंकित कुल भूमि 1.265 में 1/24 हिस्सा में वादीगण दोनों व प्रतिवादी सं० 1 को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दराबद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलथाबी तक 10.1.2019 तक अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10.1.2019 को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी